तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी वकील ने अप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजि. एडी भेज रसीद पेश की पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 18/10/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
18/10/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 15.11.2022 को पेश हो।	
15.11.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजि. AD भेज रसीद व track report पेश। उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 22.11.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
22/11/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के खिलाफ पूर्व पेशी पर एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अनुसार ग्राम खारीखुर्द के खसरा संख्या 22, 270, 321, 322, 329/3, 334, 271 आदि में दुर्गाराम बनाम ओमाराम राजस्व वाद सं. व प्रा. व स. 149/2020 में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14.09.2020 को विवादग्रस्त भूमि में व भवन रिकॉर्ड मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आगामी तारीखपेशी के लिए दे रखे थे। परंतु उक्त आदेश के प्रभावी रहते ही अप्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि में पक्की दीवार बना दी है व न्यायालय आदेश की अवमानना की है। अतः प्रार्थना पत्र में चाही गई दादरसी स्वीकार करें। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं बताया / प्रदर्शित किया गया है जो यह साबित कर सके कि उक्त स्टे आदेश का निर्धारित समय अवधि में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानना की हो। फोटोग्राफ्स जो पत्रावली में लगे हैं वह भी यह सिद्ध नहीं कर पा रहे कि विवादग्रस्त भूमि के हैं। साथ ही विवादग्रस्त भूमि के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्व की स्थिति व बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जिससे यह मानना संभव नहीं है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.09.20 का उल्लंघन है या नहीं। अतः अपर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में प्रा. प. अंतर्गत आदेश 39 नियम 2A CPC सपठित धारा 151 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल शामिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
22/11/22

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गावड़ी